09–01–2019

अभिभाषक अपीलान्ट श्री धनश्याम, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक श्री करण सिह तंवर, एव राजकीय अभिभाषक श्री सुभाष सहू. उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट श्री धनश्याम की ओर से दिनांक 29.10.18 को पेश विड्रा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने विड्रा प्रार्थना पत्र पर अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुवे बहस कर कहा कि उक्त विवादित भूमि बाबत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन है एवमं वाद प्रकरण में स्थगन आदेश भी जारी है। इस न्यायालय में विचाराधीन अपील का निर्णय भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर अनुसार होना है। अतः अपीलाट अब इस अपील को आगे चलाना नही चाहता है, तथा अपील को विड्रा करना चाहता है। अतः अपील विड्रा फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक श्री करणसिह तंवर एवं राजकीय अभिभाषक श्री सुभाष सहू ने अपीलांट द्वारा अपील विड्रा करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 29.10.18 को प्रस्तुत विड्रा प्रार्थना पत्र एव पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया।

इस न्यायालय में यह अपील अपीलांट प्रेमराज द्वारा जरिये अभिभाषक दिनांक 30.12.14 को अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 02.12.2014 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलांट प्रेमराज द्वारा जरिये अभिभाषक इस अपील को आगे नही चलाने हेतु विड्रा प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट जरिये (WITHDRAWAL) विड्रावल खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया 6-7 17-1-19

न्यायिक आयुक्त
बीकानेर